International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 363-365

सीधी जिले में जनजातियों के विकास कार्यक्रमों का कृषि पर प्रभाव का अध्ययन

डॉ० मृगेन्द्र सिंह परिहार
प्राचार्य – शिक्षा महाविद्यालय, सीधी, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। इस कारण सभी प्रकार की ग्रामीण विकास योजनाएँ कृषि विकास पर केन्द्रित हैं। जिले की कुल जनसंख्या का 85 प्रतिशत से अधिक भाग ग्रामों में निवास करता है, जिनका प्रमुख धंधा कृषि कार्य या कृषि मजदूरी है। इससे जिले की कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था का महत्व पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। जिले में होने वाली कृषि 'जीवन निर्वाह कृषि' के अन्तर्गत आती है। इस कारण यहाँ की फसलों में खाद्यान्न फसलों की प्रचुरता पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख खाद्य फसलें – गेहू, चावल, जौ, ज्वार, मक्का, कोदौ, सांवा, मेझरी, कुटकी, चना, मसूर आदि है। जिले में खाद्य व अखाद्य फसलों का प्रतिशत 89.87 एवं 10.10 पाया गया। किसी भी स्थान की कृषि उत्पादकता वहाँ प्रयोग किये जाने वाले सिंचाई के साधन, उन्नत बीज, उन्नत यंत्र, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग आदि पर निर्भर करती है। जिले के आदिवासी समाज आज भी इन चीजों के उपयोग से अपने आप को दूर रखे हुऐ है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

मूल शब्द : सीधी जिला, जनजाति, विकास, कृषि।

प्रस्तावना
जनजातीय विकास का युग संविधान के लागू होने के बाद प्रारंभ होता है। इससे पहले कुछ गांधीवादी संस्थाएँ आदिवासी विकास के कार्यक्रमों को लागू करती थी। वैसे गांधी के कई कार्यक्रम थे। ये कार्यक्रम समाज के कई उपेक्षित समुदायों पर लागू किये जाते थे। गांधी जी मुख्यतया भारतीय समाज में दो समुदायों को उपेक्षित मानते थे। एक तो हरिजन यानी अनुसूचित जातियाँ और दूसरे आदिवासी यानी अनुसूचित जनजातियाँ। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के प्रारंभ मेंज ब गांधी जी सूरत के बारदोली तालुका में गये तो उन्हें कहा गया कि इस तालुका में जनसंख्या अमुक लोगों की है। इन अमुक लोगों में आदिवासियों की गिनती नही थी। मतलब हुआ आदिवासी कोई मनुष्य नहीं है। फिर उनकी गिनती क्यों? इस बारदोली में एक जनजाति को लोग दुबला यानी कमजोर कहते थे। गांधीजी ने इनका नया नामकरण किया। कहा कि ये दुबला नहीं हलपित हैं। ये कृषक हैं।[1]

भारत की आदिम जनजातियों को विद्वानों ने अलग–अलग नामों से पुकारा है– मजूमदार के अनुसार "कोई जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का एक ऐसा समूह है, जिसका सामान्य नाम है, जिनके सदस्य एक निश्चित भू–भाग पर निवास करते हों तथा विवाह व्यवसाय के विषयों में कुछ निषेधाज्ञाओं का पालन करते हों, जिन्होंने आदान–प्रदान संबंधी तथा पारस्परिक कर्तव्यों विषयक एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया हो।"[2] बोआम के अनुसार "जनजाति का अर्थ आर्थिक दृष्टि से ऐसा स्वतंत्र जनसमूह एक भाषा बोलता है और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए संगठित होता है।"[3] मरडोक ने जनजाति को इस प्रकार परिभाषित किया है "यह एक सामाजिक समूह है, जिसकी एक अलग भाषा होती है तथा भिन्न संस्कृति एवं एक स्वतंत्र राजनैतिक संगठन होता है।"[4]

भारत के संविधान के अनुच्छेद उपखण्ड एक में इस प्रकार स्वीकार किया गया है 'राष्ट्रपति सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातियों, जनजाति समुदायों या जनजाति समुदाय के भीतरी समूहों की घोषणा करेंगे। इस सूचना में जो जनजाति समुदाय या जनजातियों के भीतरी समूह परिगणित किये जाएंगे, वे सब अनुसूचित जनजाति कहलाएंगे।'[5]

शोध विधि
शोध कार्य में अध्ययन विषय से सम्बन्धित तथ्यों एवं सूचनाओं को एकत्रित कर सांख्यिकीय विधियों से निष्कर्ष प्राप्त किये जाते है। प्रस्तुत अध्ययन विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन से उपलब्ध सूचनाओं एवं विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों की सहायता से पूर्ण किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र
भारत के हृदय स्थल मध्यप्रदेश के पूर्वोत्तर में विन्ध्य उपाधिकाओं के बीच सीधी जिला स्थित है। प्रारंभ में यह सिद्धी सम्प्रदाय के शासको द्वारा शासित रहा। सीधी प्राचीनकाल में शैव साधकों की शरणास्थली रहा। इस बात की पुष्टि चुरहट स्थित सन्यासियों की कोठी, यहाँ के पुरातत्व, वास्तुशिल्प एवं प्राचीन मंदिर इस मूर्तियों के द्वारा होती है।

कालान्तर में यह क्षेत्र चौहानों के अधीनस्थ रहा, जो कुछ काल तक स्वतन्त्र एवं बाद में रीवा राज्य के बघेल शासकों के अधीन रहकर शासन करते रहे। 1 अप्रैल 1949 तक यह जिला बघेलखण्ड रियासत के अन्तर्गत था एवं रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात विंध्यप्रदेश के अन्तर्गत हो गया। 1 नवम्बर 1956 में राज्य के पुर्नगठन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य का निर्माण हुआ, तो यह जिला मध्यप्रदेश के रीवा संभाग का एक जिला हो गया। यहाँ सोनभद्र नदी एवं बनास नदी के संगम स्थल पर भमरसेन के निकट चन्दरेह में प्राचीन शिव मंदिर है, जो 5 वीं सदी का है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। इसके साथ ही एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो 5 वीं सदी का है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। इसके साथ ही एक प्राचीन शिवमठ है जो उस समय का धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का केन्द्र था। इसके अतिरिक्त यहाँ लुरघुटी का किला, बढ़ौरा का शिव मन्दिर एवं कलचुरि का विश्राम गृह दर्शनीय है।

तलिका 1 : ऐतिहासिक, धार्मिक/पुरातात्विक स्थल

1.	चन्दरेह का मंदिर	जिला मुख्यालय से 42 किमी0 दूर है। कलचुरि सम्वत् 724 समीचीन काल 973 ई0 आसपास निर्मित है।
2.	घोघरा	सीधी मुख्यालय से 15 कि0मी0 दूर चण्डी मंदिर है।
3.	परसिली रेस्ट हाऊस	जिला मुख्यालय से 50 कि0मी0 दूर मनोरम पर्यटन स्थल है।
4.	नौढ़िया शिकारगाह	परसिली से 8 कि0मी0 दूर बघेल राजाओं के द्वारा निर्मित कठगंगला (लकड़ी द्वारा निर्मित)
5.	बढ़ौरा का मंदिर	सीधी मुख्यालय से 15 कि0मी0 दूर शिव मंदिर है।

सीधी जिले का भौगोलिक परिदृश्य

सीधी जिला मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग $23^0 47'$ से $24^0 42'$ तक उत्तरी अक्षांश और $81^0 18'$ से $82^0 40'$ तक पूर्वी देशान्तर में स्थित है। जिले की पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 155 कि.मी. तथा उत्तर से दक्षिण 95 कि.मी. है। इसका कुल क्षेत्रफल 10532 वर्ग कि.मी. है। जिले के पूर्व में सिंगरौली, दक्षिण–पश्चिम में शहडोल, सतना दक्षिण में छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला तथा उत्तर में रीवा जिला स्थित है।

तापमान, वर्ष एवं जलवायु

सीधी जिले का अधिकतम तापमान मई जून से 45.46^0 से0 तथा न्यूनतम तापमान माह दिसम्बर–जनवरी में 5^0 से0ग्रे0 तक रहता है। जिले मे औसत वर्षा 950 मिलीमीटर से 1250 मि0मी0 तक होती है। जिले की जलवायु सामान्यतः समशीतोष्ण है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है।

नदी, पहाड़ एवं मिट्टी

जिले की सबसे बड़ी नदी सोन है। बनास, गोपद एवं रिहन्द इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये समस्त नदिया सोन, बेसिन के अन्तर्गत आती हैं। जिले के मैदानी भागों की मिट्टी उपजाऊ है, किन्तु पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी कम उपजाऊ तथा हल्के किस्म की है।

भू–रचना के आधार पर सीधी जिले को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है–

1. उत्तर की कैमोर श्रेणियाँ
2. मध्य सोन घाटी
3. दक्षिण की मझौली मड़वास पठार

जनगणना एवं लिंगानुपात

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार सीधी जिले की जनसंख्या 1127033 है, जो जिले में वृद्धि 23.72 प्रतिशत है। जिले में पुरुष जनसंख्या वृद्धि 22.74 प्रतिशत व महिला 24.75 प्रतिशत है।

जिले में रहने वाली जन जातियाँ

सीधी जिले में प्रमुख रूप से कोल, गोंड, भील, उरांव, पनिका, खैरवार, बैगा आदि प्रमुख जातियां निवास करती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय खेती करना तथा खेतिहर मजदूरी, वनोपज तोड़ना एवं उनकी बिक्री करना है।

कृषि पर प्रभाव

जिले की जनजातियों की कृषि पर विकास कार्यक्रमों पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।[6] यहाँ की जनजातियाँ पिछड़ी व अशिक्षित हैं। अशिक्षा का प्रतिशत अधिक होने के कारण इनमें जागरुकता का अभाव पाया जाता है।[7] जिले की जनजातियों में 79 प्रतिशत मजदूरी के द्वारा आय प्राप्त करते हैं। इन मजदूरों में 75 प्रतिशत कोल परिवार कृषि मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं। जनजाति के शेष लोग कृषि कार्यो में संलग्न हैं, किन्तु इनकी खेती प्राचीन तारीकों से की जाती है। सिंचाई के अभाव के कारण वर्ष में केवल एक ही मौसम में खेतों को बोते हैं। इस जनजाति के कृषि कार्य के प्राचीन पारिस्थितिकी स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है। वर्तमान में कृषि कार्य के स्वरूप में जो परिवर्तन आया है, वह निम्नानुसार हैः–

तालिका 2 : सीधी जिले में विकास कार्यक्रमों का जनजातीय कृषि पर प्रभाव

क्र.	कार्य का स्वरूप	कृषि पर प्रभाव
1.	पहले झूमिंग कृषि	स्थायी कृषि का प्रारंभ
2.	स्थानीय सामग्री से बैल, कुदाली से कृषि	आधुनिक यांत्रिकी का प्रयोग बढ़ रहा है, जैसे ट्रेक्टर, सीडड्रिल, हारवेस्टर आदि
3.	असिंचित कृषि	सिंचित कृषि का सूत्रपात हो चुका है
4.	कृषि प्रारंभ के पूर्व खेती में लकड़ी डालकर जलाया जाता था।	उर्वरक एवं कम्पोस्ट खाद का प्रचलन शुरू हो चुका है।
5.	साग–सब्जी की खेती का प्रचलन नहीं था।	साग–सब्जी के खेती का प्रचलन बढ़ रहा है।
6.	जनजातियाँ पूर्व पौधारोपण नहीं करती थी।	पौधारोपण किया जाने लगा है। इस कार्य में गोंड़ जाति अग्रणी है।
7.	कृषि कार्य में पहले हाथ से फसल की बुवाई एवं गुड़ाई की जाती थी	कृषि में यांत्रिकी का शुभारंभ हल, बैल, ट्रेक्टर का उपयोग हो रहा है।
8.	मिट्टी का कटाव एवं जलस्तर अभिवृद्धि का मान नहीं था।	मिट्टी का कटाव रोकने के लिये खेती में मेढ़ का निर्माण तथा जलस्तर संरक्षण हेतु बांध बनाना शुरू हुआ।
9.	कृषि उपकरणों का निर्माण।	इस दिशा में जनजाति का योगदान महत्वपूर्ण है। स्थानीय लकड़ी एवं लोहा का प्रयोग किया जाता है।
10.	कृषि से संबंधित अन्य आवश्यक उपकरण, टोकनी, सूपा, ढोला, छबिया, मेढरा।	बैगा जनजाति इस दिशा में अग्रणी है।

स्त्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार पर आधारित

जनजातीय कृषि कार्य में परिवर्तन एवं कार्य के स्वरूप के मध्य जो बिन्दु सर्वथा उभरकर प्रकट हुए हैं, वे इस प्रकार हैंः–

- कृषि कार्य वंशानुक्रम से हटकर स्वार्थपरक हो गया है।
- कृषि में व्यक्तिगत यांत्रिकी शुरूआत होने के फलस्वरूप समाजवाद टूटकर साम्यवाद में परिणित हो गया है।
- व्यक्तिगत हित एवं भूमि संरक्षण के प्रति झुकाव क्रमशः बढ़ रहा है।

जनजाति के लोगों में खरीफ एवं रबी की फसलों में निम्नानुसार परिवर्तन के रूझान देखने को मिलते हैंः–

तालिका 3 : जनजातीय क्षेत्र में खरीफ एवं रबी की फसलों में परिवर्तन

क्र.	खरीफ फसल	रबी फसल
1.	मई में खेती की जुताई हल से, वर्तमान में कहीं–कहीं ट्रेक्टर से	खेत को साफ करके जोतना
2.	हल एवं दूसरे औजारों की देखरेख व मरम्मत	गोबर की खाद डालना, रासायनिक खादों का भी प्रयोग
3.	हल, बैल एवं देवता की पूजा, वर्तमान में कुछ लोग पूजा नहीं करते।	खेत की जुताई
4.	जून में प्रथम वर्षा के बाद बुवाई पहले हाथ से छिड़क कर करते थे। वर्तमान में कुछ कृषक जुलाई व अगस्त में पौधों का प्रतिरोपण करते है।	बोवाई हल द्वारा की जाती है।
5.	15 दिनों के बाद हाथ से खरपतवार निकालते हैं।	फसल की सिंचाई दो से पांच बार तक की जाती है।
6.	फसलों की रक्षा हेतु वर्तमान में कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करते है।	जंगली पशुओं से देखभाल के लिये काक भगोड़ा, मड़ैचा, गोफना आदि।
7.	बीमारीयुक्त पौधों का जादू–टोना द्वारा उपचार। वर्तमान में बीएससी पावडर व डीडीटी का छिड़काव	कटाई
8.	फसल की कटाई एवं गहाई कोल श्रमिक करते थे। वर्तमान में कहीं–कहीं बैल एवं थ्रेसर से करते है।	गहाई में थ्रेसर या बैल का प्रयोग
9.	धान की बोनी पहले पानी गिरने के पूर्व ही करते थे। वर्तमान में कुछ लोग नई विधियों के प्रयोग में लाने में लगे है।	सफाई एवं अन्य संग्रहण
10.	ओसाना प्राकृतिक हवा से करते थे। वर्तमान में हवा एवं पंखे से।	खेत को खाली छोड़ना।

स्त्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार पर आधारित

निष्कर्ष

आदिवासी विकास कार्यक्रमों का चाहे वह कितने ही विभाजित हों, एक उद्देश्य आदिवासी समुदाय का समन्वित विकास करना है। सभी मानकर चलते हैं कि आदिवासी समुदाय की अर्थव्यवस्था को शिक्षा से, परिवार से, संस्कृति से अलग करके नहीं देखा जा सकता और इसी कारण इन विभिन्न विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य आदिवासी समाज का समन्वित विकास के बीड़े को उठाया है। मतलब हुआ, प्रत्येक कार्यक्रम का अपना एक विशिष्टीकरण है– कृषि वैज्ञानिक अपने क्षेत्र में विशिष्ट है और भू–जल वैज्ञानिक अपने क्षेत्र में विशिष्ट है। यहाँ तक तो हमारी समझ यही है, पर इससे आगे जब विभिन्न विशिष्टता लिए हुए विभाग योजना को कार्यान्वित करते हैं तो यह नहीं देखते कि दूसरा विशिष्ट विभाग क्या कर रहा है? भू–जल वैज्ञानिक जलोत्थान योजना की तरफ आंख उठाकर नही देखता कभी–कभी तो ऐसा होता है कि बांये हाथ को पता ही नहीं लगता कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। जलोत्थान योजना में मोटर कुएं पर लगा दी जाती है, खेतों में पाइप का जाल बिछा दिया जाता है, पर इस योजना को लागू करने वाला विभाग नहीं देखता कि कुएँ में पानी कितना है? क्या इसे विस्फोट से गहरा करना है और इस समन्वय के अभाव में सम्पूर्ण सिंचाई योजना पंगु हो जाती है। कहा जा सकता है कि विकास अधिकारी एक प्रकार से समन्वयक हैं, लेकिन त्रासदी यह है कि इस समन्वय को प्रभावी नहीं बनाता।

सन्दर्भ

1. जैन एवं त्रिवेदी– आदिवासी विकास योजनाएँ, पब्लिकेशन दुर्गा तलद्वार, उदयपुर, पृ. 12.
2. Majumdar DN. Races and culture, Imperial Gazetteer of India, Asia Publishing House, Bombay, 1958, 356.
3. Bowanm F. Anthropology and modern life, W.W. Notern and Co. New York, 1928.
4. Murdock GP. Our Primitive Comptemporaties, Macmillan, New York, 1961.
5. Elwin V. New Delhi for Tribal India, Home Ministry, Govt. of India, 1961, New Delhi, 1963, 1.
6. Arora RC. Integrated Rural Development Report, 51.
7. सिंह ए.एल. सीधी जिले का भूमि उपयोग, शोध प्रबंध, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, पृ. 106